शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉं तल, "सी" – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(10)/अता.प्र.11/चतुर्थ सत्र (चतुर्थ–भाग) 2023/दिविस/श.वि./6250 दिनांकः 20/11/2024

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ–भाग) 2023 अतारांकित प्र0 सं. 11 मान्नीय विधायक श्री अखिलेश पति त्रिपाठी दिनांक 15.12.2023 को हुई सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की प्रतियॉ माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

भवदीय

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 11

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>ग्रेटर कैलाश विधानसभा की आवारा गायों को हटाकर गौशाला भेजने के विषय में कितने शिकायत–पत्र प्राप्त हुए, उसका विवरण दें;</td><td><u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u> पशु चिकित्सा सेवा विभाग, दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम में ग्रेटर कैलाश विधानसभा से आवारा गायों से सम्बंधित शिकायते माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा माह जुलाई एवं माह अक्टूबर में प्राप्त हुई है।
<u>माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय द्वारा मांगी वर्तमान स्थिति (update information) निम्न प्रकार से है:–</u>
ग्रेटर कैलाश विधानसभा में दिनांक 08–12–2023 से 28–08–2024 तक आवारा गायों से सम्बन्धित 02 शिकायत पत्र दिल्ली नगर निगम में प्राप्त हुये हैं।

<u>विकास विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u>अवारा गाय / पशु दिल्ली नगर निगम के अधीन / दायरे में आती है। पशुपालन इकाई विकास विभाग, दिल्ली सरकार दिल्ली में 04 गौशालाओं में पशुओं / गायों की रखरखाव, देखभाल आदि का उचित प्रबंधंन हो, सुनिश्चित करती है और वित्तीय योगदान के तौर पर प्रतिदिन प्रति गाय रुपये 20 /– प्रदान करती है । दिल्ली नगर निगम अवारा पशुओं को उठाकर उन्हें उस क्षेत्र के नजदीकी गौशाला में ले जाती है । इसलिए इस संदर्भ में सभी शिकायतें दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दी जाती है।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई और कुल कितनी गाय वहां से उठाकर गौशाला पहुंचाई गयी, उसका तिथिवार विवरण दें;</td><td><u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–</u>
पशु चिकित्सा सेवा विभाग, दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम द्वारा ग्रेटर कैलाश विधान सभा में आवारा गायों की समस्या के निवाराण हेतु दिनांक 01.08.2023 से 30.08.2023 तक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें कुल 51 गायों को पकड़ा गया तथा दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेजा गया। इस अभियान में की गयी कार्यवाही का तिथिवार विवरण निम्नलिखित है:–
<table>
<tr><th>क0स0</th><th>कार्रवाई की तारीख और समय</th><th>जब्त किए गए आवारा पशुओ की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>01.08.2023, 7 pm</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>05.08.2023, 10 pm</td><td>04</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>08.08.2023, 9 pm</td><td>04</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>10.08.2023, 9 am</td><td>04</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>16.08.2023, 8 pm</td><td>07</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>17.08.2023, 7 pm</td><td>02</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>21.08.2023, 4 pm</td><td>04</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>23.08.2023, 7 pm</td><td>03</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>24.08.2023, 7.30 pm</td><td>02</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>25.08.2023, 8.00 pm</td><td>03</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>26.08.2023, 9.00 pm</td><td>05</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>29.08.2023, 7.30 pm</td><td>06</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		13. | 30.08.2023, 7.30 pm | 06 कुल संख्या | 51 माह अगस्त 2023 से माह नवम्बर 2023 में विभाग द्वारा आवारा गायों की समस्या के निवारण हेतु की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण **अनुलंग्नक 'ए'** पर संलग्न है। **<u>माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय द्वारा मांगी वर्तमान स्थिति (update information) निम्न प्रकार से है:–</u>** दिनांक 08–12–2023 से 28–08–2024 की अवधि में दिल्ली नगर निगम द्वारा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:– 1. कुल 154 गायों को पकड़ा गया तथा दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेजा गया है। 2. कुल 03 अवैध डेरी से पशु उठाये गये तथा इन अवैध डेरी के कच्चे निर्मित ढांचों को तोड़ा गया है। 3. विभागीय कार्यवाही के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वाले आसामाजिक तत्वों के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु विभाग द्वारा दिल्ली पुलिस को पत्राचार किया गया है।
ग	क्या आज भी आवारा पशुओं के विषय में शिकायतें मिल रहीं है;	**<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–</u>** ग्रेटर कैलाश विधान सभा से विगत दो माह में किसी भी माध्यम (कण्ट्रोल रूम, पत्र, MCD-311 एप्प, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टलस) से आवारा गायों से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **<u>माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय द्वारा मांगी वर्तमान स्थिति (update information) निम्न प्रकार से है:–</u>** ग्रेटर कैलाश विधानसभा से 28–08–2024 के बाद कोई शिकायत नहीं मिली।
घ	कितने आवारा पशु चिराग दिल्ली, शेख सराय, अलकनन्दा, डीडीए फ्लैट्स कालकाजी और सावित्री नगर में आज भी घूम रहे हैं, पूरी गिनती बतायें;	**<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–</u>** जैसा की पहले भी स्पष्ट किया गया है कि आवारा पशुओं की ऐसी कोई गणना विभाग द्वारा नहीं की गई है अतः आवारा पशुओं की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है। ऐसे आवारा पशुओं से संबंधित शिकायत प्राप्त होने अथवा संज्ञान में आने पर समय–समय पर निगम द्वारा कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें पकड़ कर दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेज दिया जाता है। **<u>माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय द्वारा मांगी वर्तमान स्थिति (update information) निम्न प्रकार से है:–</u>** दिल्ली नगर निगम द्वारा पशुओं की अभी गणना नहीं की गयी है अतः इन क्षेत्रों में आवारा पशुओं की सटीक संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।
ङ	बार–बार शिकायत करने पर भी पूरी कार्यवाही न करने के लिये कौन–कौन से अधिकारी दोषी हैं, कृपया उनका विवरण दें; और	**<u>दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:–</u>** कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर पशु उठाने के वाहन की क्षमता के अनुसार पशु उठाये जाते हैं और दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेजे जाते हैं जिसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड विभाग में उपलब्ध है। पशु चिकित्सा सेवा विभाग, दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम के पास आवारा गायों को पकड़ने हेतु कुल 02 वाहन हैं जिनमे एक समय में अधिकतम 05 पशु प्रति वाहन पकडे जा सकते हैं। पशुओं के शरीर के आकार के अनुसार एक दिन में 02 – 05 पशु प्रति वाहन पकड़े जाते हैं और दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेजे जाते हैं जो सुरेहेरा में स्थित है। इसके साथ ही विभाग के पास कुल 23 वार्डों में से आवारा पशुओ की शिकायते प्राप्त होती हैं जिनका निवारण विभाग द्वारा समान एवं निष्पक्ष रूप से किया जाता है। समय–समय पर विभाग द्वारा अवैध डेरियों को खाली कराने एवं सील करने की कार्यवाही भी की जाती है। अवैध डेरी पालकों और

		गाये पकड़ने की कार्यवाही के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वाले आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु विभाग द्वारा दिल्ली पुलिस को कई बार पत्राचार किया गया है। विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सम्भव प्रयोग करते हुए कार्यवाही की गयी है। दिनांक 01.08.2023 से 07.12.2023 की अवधि में विभाग द्वारा ग्रेटर कैलाश विधानसभ में की गयी कार्यवाही निम्नानुसार है:– 1. कुल 93 गायों को पकड़ा गया तथा दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेजा गया है। 2. कुल 03 अवैध दुग्धशाला से पशु उठाये गये तथा इन अवैध दुग्धशालाओं के कच्चे निर्मित ढांचों को तोड़ा गया है। 3. विभागीय कार्यवाही के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वाले आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु विभाग द्वारा दिल्ली पुलिस से पत्राचार भी किया गया है। **माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय द्वारा मांगी वर्तमान स्थिति (update information) निम्न प्रकार से है:–** कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर पशु उठाने वाले वाहन की क्षमता के अनुसार पशु उठाये जाते हैं और दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेजे जाते हैं जिसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड विभाग में उपलब्ध है। दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के पास कुल 23 वार्डो से आवारा पशुओं की शिकायतें प्राप्त होती है जिनका निवारण दिल्ली नगर निगम द्वारा सामान एवं निष्पक्ष रूप से किया जाता है। समय–समय पर दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध डैयरियों को खाली कराने एवं सील करने की कार्यवाही भी की जाती है। अवैध डेरी पालकों और गाये पकड़ने की कार्यवाही के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वाले आसामाजिक तत्यों के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली पुलिस को कई बार पत्राचार किया गया है। विभाग के पास सीमित संसाधनों का अधिकतम सम्भव प्रयोग करते हुए कार्यवाही की गई है।
च	इस विषय में डीसी साउथ को स्थानीय विधायक व निगम पार्षद द्वारा फोन पर कितनी बार मैसेज व्हाट्सएप पर मिले, उसका पर्णू विवरण दे?	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** इस विषय में विगत छह माह में डी सी साउथ को स्थानीय विधायक व निगम पार्षद द्वारा फोन / मेसेज/WhatsApp पर 05 बार चिराग दिल्ली नाले के पास आवारा गाय के सम्बन्ध में मेसेज मिले हैं। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:– 1. कुल 03 अवैध डेरी से पशु उठाए गए तथा इन अवैध डेरी के कच्चे निर्मित ढांचों को तोड़ा गया है। 2. दिनांक 11.10.2023 से 11.11.2023 की अवधि के दौरान चिराग दिल्ली नाले तथा आसपास के क्षेत्र से कुल 15 आवारा पशु उठाए गए और उन्हें दिल्ली सरकार की पंजीकृत गौशाला में भेजा गया। **माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय द्वारा मांगी वर्तमान स्थिति (update information) निम्न प्रकार से है:–** सभी माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

11/C

अनुलग्नक 'D' 4/C

संलग्नक-B

माह अगस्त 2023 से माह नवम्बर 2023 में विभाग द्वारा आवारा गायों की समस्या के निवारण हेतु की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

क्र. स.	विवरण	अगस्त 2023		Sep-23		Oct-23		नवम्बर 2023		Total (अगस्त 2023 से माह नवम्बर 2023)	
		ग्रेटर कैलाश विधान सभा	सभी 23 वार्डस (दक्षिणी क्षेत्र)	ग्रेटर कैलाश विधान सभा	सभी 23 वार्डस (दक्षिणी क्षेत्र)	ग्रेटर कैलाश विधान सभा	सभी 23 वार्डस (दक्षिणी क्षेत्र)	ग्रेटर कैलाश विधान सभा	सभी 23 वार्डस (दक्षिणी क्षेत्र)	ग्रेटर कैलाश विधान सभा	सभी 23 वार्डस (दक्षिणी क्षेत्र)
1	जब्त की गयी आवारा गाय की संख्या जिन्हे गौशाला भेजा गया	51	159	17	120	8	104	12	159	88	542
2	सील एवं हटाई गई अनाधिकृत डेरियों की संख्या	0	1	–	7	–	3	–	0	0	11

दुग्ध कर निरीक्षक, दक्षिण क्षेत्र

पशु चिकित्सा अधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र, दि.न.नि